T-19

8664

68101

BAR ASSOCIATION DEHRADUN

क्र. A 11111

उप / सब–पट्टा विलेख

① पट्टा CTJ 2146512
② A/c No 1087000/00170722 PNB

यह सब–पटटाविलेख 1. श्रीमती सावनी देवी पत्नी स्व0 श्री एस0एस0 रावत, निवासी मकान नम्बर 105, भण्डारी बाग, ब्लॉक–।।, देहरादून, (उत्तराखण्ड) 2. श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री अनूप सिंह निवासी 4, रामलीला बाजार, हनुमान चौक, देहरादून, (उत्तराखण्ड)

—पट्टादाता

एवं

श्री दलीप कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी ग्राम माजरी पो0ओ0 पिरान कलियर, रुड़की जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड)
PAN No - BMFPS 1168 F

— पट्टाग्रहीता

के मध्य अंकित व निष्पादित किया गया है।

मालती

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

3

982000

मु० कोषाधिकारी
कोषागार, देहरादून
- 7 OCT 2011
निर्गत किया
कोड सं० 001

विदित हो कि निम्न संपत्ति आज तक हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, विक्रय, दान, लीज, वसीयत व ऋण आदि से सर्वथा मुक्त है और कंही भी रहन व बैय आदि नहीं की हुई है। पट्टादाता को निम्न संपत्ति हर प्रकार से पट्टे पर देने के पूर्ण अधिकार मालकाना प्राप्त हैं। उनका अन्य कोई भागीदार अथवा साझीदार आदि भी नहीं हैं।–

विदित हो पट्टादाता निम्न संपत्ति, जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के अंत में दिया गया है, को सदैव काल के लिए पटटे पर दिया है। अतः पक्षकारो के मध्य यह सब–स्थायी पट्टा विलेख अंकित व निष्पादित किया जाता है, जो निम्न प्रकार साक्ष्यांकित है :–

1. यह कि पक्षकारों की सहमति से निम्न संपत्ति, जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के अंत में दिया गया है, को पटटादाता ने स्थायी पटटे पर आज दे दिया है एवं पटटाग्रहीता ने संपत्ति पटटे पर ले ली है ।

2. यह कि पक्षकारों की सहमति से पट्टे पर दी गयी संपत्ति का लीज रेन्ट मुबलिग 300/–रुपये प्रति वर्ष की दर से तय पाया है।

3. यह कि उपरोक्त पट्टादाता ने अपने स्थिर मन,बुद्धि व इन्द्रियों की दशा में तथा बिना किसी अनुचित दवाब के वरन् अपनी स्वतंत्र इच्छा से यह पट्टा विलेख की सूची में वर्णित सम्पत्ति *श्री दलीप कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी ग्राम माजरी पो०ओ० पिरान कलियर, रुड़की जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड)* को समस्त स्वामित्व, अधिकार, मार्ग, आवागमन, जल प्रवाह इत्यादि के सुखाधिकारों सहित तथा उन समस्त अधिकारों के, जो कि मुझ पट्टादाता को इस सम्पत्ति में प्राप्त थे व हैं अथवा भविष्य में प्राप्त होने वाले हैं, के सहित स्थायी सब–पट्टा विलेख के द्वारा स्थानान्तरित कर दी है । इस प्रकार पट्टाग्रहीता मुझ पट्टादाता के समान समस्त अधिकारों वाले स्वामी उपरोक्त सम्पत्ति के हो गये हैं ।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, देहरादून
- 7 OCT 2011
निर्गत किया
कोड सं. 0...

4. यह कि पट्टादाता ने आज निम्न संपत्ति का खाली व वास्तविक कब्जा पट्टाग्रहीता को मौके पर अपने समान सौंप दिया है तथा अपना कब्जा हटा लिया है। आज से पट्टाग्रहीता निम्न संपत्ति के एकमात्र पट्टाधारक/काबिज हो गये हैं।

5. यह कि आज से पट्टाग्रहीता को अधिकार होगा कि वह निम्न संपत्ति से जिस प्रकार चाहे, लाभ उठाये, हर प्रकार से अपने उपयोग, उपभोग आदि में लाये, रहन, बन्धक, सब–लीज करे, सरकारी अभिलेखों आदि में अपना नाम बतौर पट्टाग्रहीता अंकित कराये, अपने नाम पर बिजली, पानी कनेक्शन आदि अपने खर्चे पर प्राप्त करे, पट्टादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. यह कि इस संपत्ति पर आज की तिथी तक आरोपित देय सभी प्रकार के करों व अधिभारों की अदायगी का दायित्व पट्टादाता का होगा तथा उसके उपरान्त पट्टाग्रहीता का होगा ।

7. यह कि पट्टादाता से पट्टाग्रहीता को अपने अधिकारों की पुष्टि के लिये अन्य किसी लेख अथवा विलेख व पंजीयन कराने की आवश्यकता हुई तो पट्टादाता ऐसी कार्यवाही पट्टाग्रहीता के व्यय पर करने को सदैव तैयार व तत्पर रहेगा ।

8. यह कि पक्षकारों के मध्य कोई पंजीकृत अनुबंध नहीं है।

9. यह कि पट्टाग्रहीता को अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक, सरकारी, गैर सरकारी वित्तीय संस्था से सम्पत्ति पर ऋण प्राप्त करे, सम्पत्ति को बन्धक करे, इसमें पट्टादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

10. यह कि यह पट्टा स्थायी पट्टे पर दिया गया है ।

11. यह कि पट्टे पर दी गयी भूमि मुख्य सहारनपुर चौक से नदी तक के मध्य 50 मीटर दूर स्थित भूखण्ड है। जिसका कुल क्षेत्रफल 47.69

मालती

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 493869

23 JUN 2011

वर्गमीटर है। भूमि के निर्धारित सर्किल रेट 14,000/–रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि का मूल्यांकन 6,68,000/–रुपये आता है। जिस पर निर्धारित 5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क 33,500/–रुपये अदा किया गया है।

12. यह कि जो जो भी अधिकार, सुखाधिकार पट्टादाता को बजरिए स्थायी पट्टा विलेख दिनांक 05–11–2008 के द्वारा प्राप्त थे, वही सब अधिकार, सुखाधिकार पट्टाग्रहीता को हस्तान्तरित किये गये हैं।

13. यह कि पट्टे पर दी जा रही संपत्ति में कोई पेड़, बाग, बाउण्डरी वाल या निर्माण नहीं है।

14. यह कि सम्पत्ति नगर निगम सीमा के अन्दर है । पक्षों के मध्य कोई पूर्व लिखित पंजीकृत अनुबन्ध नहीं हो रखा है।

15. यह कि इस स्थायी पट्टा–विलेख में जहां–जहां शब्द पट्टादाता एवं पट्टाग्रहीता प्रयुक्त हुए हैं, वहां – वहां इन शब्दों से तात्पर्य उनके स्थानापन्न एवं हित प्रतिनिधि आदि का भी सम्मिलित होना है।

16. यह कि निम्न संपत्ति नगरनिगम देहरादून की सीमा में स्थित है, अतः उस पर उत्तरांचल भू– अधिनियम 2003 के प्राविधान प्रभावी नहीं है।

मालती

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 493870

3 JUN 2011

6

विवरण संपत्ति

एक खुला आबादी भूखण्ड, भूमिधरी भूमि खाता खेवट संख्या–01, खसरा नम्बर 70, कुल रकबा 71.56 वर्गमीटर, में से पट्टादाता का अपना सम्पूर्ण 2/3, भाग, यानी हस्तान्तरित क्षेत्रफल 47.69 वर्गमीटर (सैंतालीस दशमलव छः नौ वर्गमीटर) स्थित कांवली रोड़, (मौजा कांवली) देहरादून, जो संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शित है, जिसकी सीमायें निम्न हैं :–

पूरब में	–	25 फुट चौड़ी सड़क	सीमा नाप 11 फुट
पश्चिम में	–	सम्पत्ति अन्य	सीमा नाप 11 फुट
उत्तर में	–	सम्पत्ति पट्टादाता, जो अन्य विलेख से पट्टाग्रहीता को पट्टे पर दी गयी ह	सीमा नाप 70 फुट
दक्षिण में	–	सम्पत्ति डा0 ऊषा कश्यप व अन्य	सीमा नाप 70 फुट

अतः यह पट्टा विलेख अंकित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय अनुसार काम आये। इति लिखित दिनांक 13–10–2011 स्थान देहरादून।

पट्टादाता का नाम एवं पता : श्रीमती सावनी देवी पत्नी स्व0 श्री एस0एस0 रावत, निवासी मकान नम्बर 105, भण्डारी बाग, ब्लॉक–II, देहरादून, (उत्तराखण्ड)

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

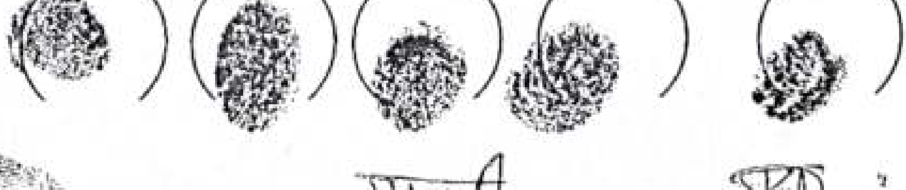

मालती

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 493871

7

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

पट्टादाता के हस्ताक्षर

पट्टादाता का नाम एवं पता : श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री अनूप सिंह निवासी 4, रामलीला बाजार, हनुमान चौक, देहरादून, (उत्तराखण्ड)

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

मालती

पट्टादाता के हस्ताक्षर

मालती

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL 630657

- 8 SEP 2011

8

पट्टाग्रहीता का नाम एवं पता : श्री दलीप कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी ग्राम माजरी पो0ओ0 पिरान कलियर, रुड़की जिला हरिद्वार, (उत्तराखण्ड)

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

दायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

पट्टाग्रहीता के हस्ताक्षर

गवाह .... गवाह..........

श्री अनूप कुमार — श्री सुमित कुमार

पुत्र श्री महावीर सिंह — पुत्र श्री [illegible]

नि० 8/13 [illegible] रोड देहरादून — नि० [illegible] रोड देहरादून

DL No. 80063/DDun/05 — DL No. 7088/DDun/06

रचियता–श्री डी0 एस0 नेगी एडवोकेट, कचहरी, देहरादून।

बही नम्बर 1 जिल्द 4,204 पृष्ठ 1 से 18

में नम्बर 8,664 पर आज दिनांक 17-November-2011

में रजिस्ट्री की गयी ।

उप निबन्धक प्रथम देहरादून

Scanned with CamScanner